Form No. III Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

[उप]खण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक देसूरी (पाली)

हंसाराम बनाम जेताराम वगैरह

[मु]कदमा राजस्व वाद 19/2018 नम्बर 20/2018 सन्

अन्तर्गत धारा 53-188-92(A) R.T. Act

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
वकील वादी मय वादी उप०। वादीगण द्वारा वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53-188-92(A) R.T. Act प्रस्तुत किया। प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किए जावे। पत्रावली दिनांक 27/6/18 पेश-दादाई को प्रस्तुत हो। उपखण्ड अधिकारी देसूरी	
27-6-2018 वादी एवं प्रतिवादीगण उप०। राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड कम हो। SDO देसूरी	जेताराम नगाराम LTI हंसाराम

न्याय आपके द्वार अभियान 2018 शिविर.........

उपखण्ड अधिकारी देसूरी

न्याय आपके द्वार अभियान 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली) राज. केम्प कोर्ट दादाई

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाडा (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 20 / 2018
दायर तिथि :– 04.05.2018
निर्णय दिनांक :– 27.06.2018

वादी :–

1. हंसाराम पुत्र नेमाजी जाति–सिरवी
   निवासी–दादाई, तहसील–देसूरी, जिला–पाली

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. जेताराम पुत्र पोमारामजी
2. नगाराम पुत्र नेमाजी
   जातिगण–सिरवी, निवासीगण–दादाई
   तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राजस्थान
3. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार देसूरी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 89, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– **दिनांक :–27.06.2018**

पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट दादाई प्रस्तुत हुई। पक्षकारान वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार, देसूरी उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण को सुना गया। प्रस्तुत वाद कृषि भूमि विभाजन से संबंधित है एवं राजस्व रेकार्ड में हिस्से के अनुरूप बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन के लिये वाद प्रस्तुत कर हिस्से के अनुरूप विभाजन करने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण 1 व 2 ने जवाब दावा पेश किया तथा पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि का हिस्सो एवं कब्जे के अनुरूप विभाजन कराने के लिये अपनी सहमति प्रस्तुत की जो पत्रावली के संलग्न हो।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान को बाद सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मौजा वाडका के वर्तमान ख.सं. 128, 129, 130, 131, एवं खसरा नम्बर 128/1 कुल रकबा 4.4300 हेक्टर किस्म चा.प्र., गे.मु.बेरा, सड़ा, चा.प्र.जा.अ. में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी विद्यमान है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादी ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन का निवेदन किया है तथा प्रतिवादी 1 व 2 के द्वारा धारित हिस्सों व कब्जा के अनुरूप विभाजन का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। ऐसी स्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स वर्तमान कब्जे को दृष्टिगत रखते हुये वादीगण का वाद बाबत विभाजन स्वीकार किया जाना विधि सम्मत प्रतीत है।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

पेज लगातार 2 पर...

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि मौजा वाडका के वर्तमान ख.सं. 128, 129, 130, 131, एवं खसरा नम्बर 128/1 कुल रकबा 4.4300 हेक्टर किस्म चा.प्र., गे.मु.बेरा, सड़ा, चा.प्र.जा.अ. में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी विद्यमान है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा का विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार देसूरी वादग्रस्त भूमि का माफिक हिस्सा बाइ मिट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं कब्जे के अनुरूप पक्षकारान के मध्य विभाजन कर समान रूप से भूमि, रास्तों इत्यादि की सुविधा रखते हुये अलग–अलग खसरा नम्बर, क्षैत्रफल, किस्म , लगान वर्णित कर विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर पृथक से इजराय पत्रावली कायम की जावें। इस आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का दादाई को भिजवाई जावें। डिकी परचा जारी किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.208 को केम्प कोर्ट दादाई में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

(राजेश मेवाडा)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

कमांक/रीडर/2018/ दिनांक :– 27.06.2018

प्रतिलिपि :– पालनार्थ।

1. तहसीलदार देसूरी
2. पटवारी हल्का दादाई।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

प्रपत्र 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
शिविर – दादाई

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.

वादी :–

1. हंसाराम पुत्र नेमाजी जाति–सिरवी
   निवासी–दादाई, तहसील–देसूरी, जिला–पाली

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. जेताराम पुत्र पोमारामजी
2. नगाराम पुत्र नेमाजी
   जातिगण–सिरवी, निवासीगण–दादाई
   तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राजस्थान
3. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार देसूरी

दावा बाबत 53, 89, 92ए राज.काश्त. अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर :– **20/2018**

निर्णय दिनांक :– **27.06.2018**

वादीगण की ओर से **वादी उपस्थित** व प्रतिवादी की ओर से **प्रतिवादीगण उपस्थित** में इस वाद में आज तारीख **27.06.2018** को (नाम पीठासीन अधिकारी) **राजेश मेवाडा आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि मौजा वाडका के वर्तमान ख.सं. 128, 129, 130, 131, एवं खसरा नम्बर 128/1 कुल रकबा 4.4300 हेक्टर किस्म चा.प्र., गे.मु.बेरा, सड़ा, चा.प्र.जा.अ. में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी विद्यमान है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा का विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार देसूरी वादग्रस्त भूमि का माफिक हिस्सा बाइ मिट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं कब्जे के अनुरूप पक्षकारान के मध्य विभाजन कर समान रूप से भूमि, रास्तों इत्यादि की सुविधा रखते हुये अलग–अलग खसरा नम्बर, क्षेत्रफल, किस्म , लगान वर्णित कर विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर पृथक से इजराय पत्रावली कायम की जावें। इस आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का दादाई को भिजवाई जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **27** माह **जून** सन **2018** को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी देसूरी

(राजेश मेवाडा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी